कार्यालय कलेक्टर एवं जिला मिशन संचालक, (समग्र शिक्षा), जीपीएम (छ.ग.)

क्र/692/समग्र शिक्षा/समा.शि./2023–24 जीपीएम, दिनांक 03/10/2023

//विज्ञापन//

राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा अभियान छत्तीसगढ रायपुर के पत्र क्रं. 829/स.शि./24/58 (23)/प्रार–माध्य./2023 रायपुर दिनांक 24.05.2023 के अनुसार समग्र शिक्षा के तहत विकासखण्ड संसाधन स्त्रोत केन्द्र हेतु निश्चित अवधि पर कार्य पर रखे जाने के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन पत्र दिनांक 18/10/2023 तक आमंत्रित किया जाता है।

पदो का विवरण एवं आरक्षण –

फिजियोथेरेपिस्ट हेतु

क्रं.	पदनाम	पद संख्या	अनु.ज.जाति			अनारक्षित			अनु.जाति			अ.पि.व.		
			मुक्त	महिला	दिव्यांग	मुक्त	महिला	दिव्यांग	मुक्त	महिला	दिव्यांग	मुक्त	महिला	दिव्यांग
1	फिजियोथेरेपिस्ट	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0

आवश्यक योग्यता –

1. **फिजियोथेरेपिस्ट पद हेतु –**
   1. शासकीय मान्यता प्राप्त संस्था से बेचलर ऑफ फिजियोथेरेपी डिग्री कोर्स।
   2. छ.ग. फिजियोथेरेपी परिषद् में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है।

नियम एवं शर्ते –

1. कार्य पर रखे जाने की अधिकतम अवधि 31 मार्च 2024 तक होगी। तत्पश्चात् कार्य योग्यता, कार्य क्षमता एवं व्यवहार तथा विभाग के आवश्यकता के आधार पर एवं चयनित व्यक्ति की उपयुक्तता का आंकलन कर आगे बढाने का निर्णय कलेक्टर एवं जिला मिशन संचालक समग्र शिक्षा, बिलासपुर द्वारा लिया जा सकेगा, अन्यथा चयनित व्यक्ति की सेवा समाप्ति स्वयमेव समाप्त मानी जावेगी।
2. कार्य पर रखे जाने की अवधि में वेतनमान छ.ग. शासन द्वारा स्वीकृत नियमित वेतनमान नहीं होगा, बल्कि भारत सरकार द्वारा अनुशंसित वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट में स्वीकृति अनुसार फिजियोथेरेपिस्ट हेतु प्रतिमाह राशि रू. 20000/– मानदेय प्रदाय होगा।
3. कार्य पर रखा जाना पूर्णत अस्थाई होगा। कार्य संतोषजनक पाये जाने पर सेवा अवधि में वृद्धि किया जा सकेगा। चयनित व्यक्ति को बिना कारण बताये कभी भी सेवा समाप्त की जा सकती है। सेवा समाप्ति के बाद कर्मचारी को किसी प्रकार के पेंशन, भत्ता या अन्य राशि प्रदान नहीं की जावेगी।
4. आवेदक की आयु दिनांक 01.09.2023 की स्थिति में न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकमत 40 वर्ष होनी चाहिए अधिकतम आयु सीमा में छूट के संबंध में छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा नियम लागू होंगे।
5. अनुबंध के आधार पर अस्थाई रूप से चयनित व्यक्ति मानदेय वृद्धि और नियमितीकरण हेतु नियोक्ता को आवेदन/न्यायालय में याचिका दायर नही करेगा।
6. चयनित व्यक्ति को जिला मिशन समन्वयक के साथ एक अनुबंध करार पर हस्ताक्षर करना होगा और करार अनुबंध के उल्लंघन के मामले में अनुबंध रद्द माना जावेगा। जिसकी सूचना नहीं दी जावेगी और सेवा स्वमेव समाप्त मानी जावेगी।
7. रिक्तियों की संख्या परिवर्तनीय है।
8. चयन उल्लेखित आवश्यक शैक्षणिक योग्यता में प्राप्तांक के आधार पर मेरिट बेसिस पर होगा।
9. चयनित व्यक्ति को कार्य पर रखे जाने संबंधी पत्र प्राप्ति होने के पश्चात् निर्धारित अवधि में कर्तव्य में उपस्थित होना पडेगा, अन्यथा मेरिट सूची के अगले उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जावेगी और अलग से आवेदक को औपचारिक सूचना नहीं दी जावेगी।
10. फिजियोथेरेपिस्ट को टी.ए./डी.ए. एवं अन्य भत्तें की पात्रता नहीं होगी।
11. आयु सीमा में छूट शासकीय नियमानुसार ही होगा।

Scanned with CamScanner

12. शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त संस्था से होने पर ही मान्य किया जावेगा।
13. आवेदन निर्धारित प्रारूप में जमा किया जावेगा। आवेदन के साथ वांछित प्रमाण पत्र एवं अंकसूची स्वप्रमाणित होनी चाहिए।
14. कलेक्टर एवं पदेन जिला मिशन संचालक को विज्ञापन वापिस लेने/चयन प्रक्रिया को रद्द करने/चयनित/कार्यरत् व्यक्ति का कार्य संतोषप्रद न होने/किसी भी अन्य विवाद की स्थिति में कार्य से पृथक करने का सम्पूर्ण अधिकार होगा। इस स्थिति में किसी भी प्रकार आवेदन/अपील मान्य नहीं होगा। विवाद की स्थिति में सम्पूर्ण अधिकार कलेक्टर एवं जिला मिशन संचालक के पास सुरक्षित होगा।
15. अपूर्ण अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों के संबंध में उम्मीदवारों को कोई सूचना नहीं दी जावेगी। ऐसे आवेदन पत्र अमान्य कर दिये जायेंगे।
16. आवेदक को लिफाफे के उपर एवं आवेदन पत्र में पद का नाम जिसके लिए आवेदन किया जा रहा है, स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए, अन्यथा आवेदन निरस्त किया जा सकता है। लिफाफे के उपर प्रेषक का नाम एवं पत्र व्यवहार का पता आवश्यक रूप से लिखा होना चाहिए।
17. आवेदन पत्र जिला मिशन समन्वयक, जिला परियोजना कार्यालय, समग्र शिक्षा, जिला पंचायत परिसर द्वितीय तल बिलासपुर में सिर्फ **रजिस्टर्ड डाक/स्पीड पोस्ट/कुरियर से स्वीकार किये जाऐंगे।**
18. आवेदक को जन्मतिथि के प्रमाण पत्र के लिए 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र/अंकसूची देना अनिवार्य होगा।
19. आवेदक का आवेदन पत्र दिनांक 18/10/2023 को शाम 05 बजे तक जिला परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा, जिला पंचायत परिसर बिलासपुर में अनिवार्य रूप से प्राप्त हो जाना चाहिए इसके पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्र पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

(कलेक्टर एवं जिला मिशन संचालक महोदय द्वारा अनुमोदित)

जिला मिशन समन्वयक
समग्र शिक्षा, बिलासपुर/जीपीएम (छ.ग.)

Scanned with CamScanner

आवेदन पत्र का प्रारूप

प्रति,

कलेक्टर एवं जिला मिशन संचालक,
समग्र शिक्षा जिला – जीपीएम छ.ग.

स्वप्रमाणित पास्पोर्ट फोटो

1. आवेदित पद का नाम – ....
2. आवेदक का पूरा नाम (हिन्दी में) – ....
   आवेदक का पूरा नाम (अंग्रेजी में)
   केपिटल लेटर में – ....
3. पिता/पति का नाम – ....
4. अ. जन्म तिथि (अंको में) – ....
   ब. जन्म तिथि (शब्दो में) – ....
   स. दिनांक 01.09.2023 को – आयु..........वर्ष..........माह..........दिन..........
   द. आयु सीमा में छूट चाहते है हां/नहीं
   इ. आयु सीमा में छूट का आधार – ....
5. लिंग (पुरूष/महिला) – ....
6. शैक्षणिक योग्यता –

क्रं.	परीक्षा का नाम	बोर्ड/वि.वि. का नाम	उत्तीर्ण करने का वर्ष	कुल अंक	प्राप्तांक	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
1	हाई स्कूल परीक्षा					
2	हायर सेकेण्डरी परीक्षा					
3	स्नातक/फिजियोथेरपी परीक्षा					
4	अन्य					

7. छत्तीसगढ फिजियोथेरेपी परिषद् में जीवित
   पंजीयन क्रमांक (प्रति संलग्न करें) – ....

8. पत्र व्यवहार का वर्तमान पूर्ण पता – ....
   दूरभाष नं. सहित ....
   ....

Scanned with CamScanner

9. स्थायी पता – ....

....

....

10. क्या आप शासन द्वारा मान्य अजा/अजजा /अपिव के सदस्य है यदि हां तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें। – ....

11. क्या आवेदक छ.ग. राज्य का मूल निवासी है यदि हां तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें। – ....

12. क्या आवेदक विकलांग है। यदि हां तो विकलांगता संबंधी जिला मेडिकल बोर्ड सत्यापित प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें – ....

13. विकलांगता का प्रकार एवं प्रतिशत – ....

14. संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची –

1.. 2..

3.. 4..

5.. 6..

7.. 8..

दिनांक

स्थान

आवेदक के हस्ताक्षर एवं नाम

मोबाईल नं.

घोषणा पत्र

मै एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूं कि इस प्रपत्र में दिये गये समस्त विवरण एवं संलग्न अभिलेख मेरी अधिकतम जानकारी के अनुसार सत्य है यदि उपरोक्त तथ्य असत्य पाया जाता है तो मेरी नियुक्ति/उम्मीद्वारी निरस्त किये जाने योग्य होगी।

दिनांक

स्थान

आवेदक के हस्ताक्षर

Scanned with CamScanner